राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(6)ग्रावि / नरेगा / एम.आई.एस.मै. / 2010 जयपुर, दिनांक: 26 MAR 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाअन्तर्गत एम.आई.एस. मैनेजर के पद पर संविदा अनुबन्ध के संबन्ध में।

संदर्भः विभागीय पत्रांक एफ2(23)ग्रावि / ग्रुप–3 / 2008 दिनांक 25.04.2008 के क्रम में।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से योजनान्तर्गत एमआईएस का कार्य ऑन लाईन किये जाने के निर्देश जारी किये है। उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिए जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर सृजित एमआईएस मैनेजर के पदों पर नियोजन आवश्यक है। जिलों के साथ योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा दी गई निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में वर्णित अनुभव वाले कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। अतः जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर सृजित एम.आई.एस. मैनेजर के अनुभव के प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावें :–

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रोग्रामर हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ही रहेगी।
2. प्रथम प्राथमिकता दो साल या इससे अधिक का सरकारी अथवा गैरसरकारी विभागों / संस्थाओं के अनुभव वाले अभ्यार्थियों को दी जावें।
3. क्रम संख्या 2 पर अंकित अनुभव वाले अभ्यार्थी उपलब्ध न होने पर एक से दो साल तक का अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों का चयन किया जावे। इन अभ्यार्थियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एक वर्ष या एक वर्ष से कम अनुभव रखने वाले अभ्यार्थियों का चयन किया जावे।
4. यदि बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार भी अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हो तो जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर पर गुणावगुण के आधार पर एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए अभ्यार्थियों का चयन उपलब्ध आवेदन कर्ताओं में से अथवा कार्य अनुभव में उक्तानुसार शिथिलता प्रदान करते हुए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित कर चयन किए जा सकेंगे।

कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित की जावे।

भवदीय,
23/3/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)

E:\SURGYAN\MUKESH\IJAY\NREGS Letter \Qualification for MIS Managers.doc